कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in Mobile No-8987790306

पत्रांकः– 1540 दिनांकः– 31/7/23

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल,
बोकारो।

विषय :– **पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माण हेतु 13.047 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः– **1.प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– 1362 दिनांक 02.11.2021**
2. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक– 66 दिनांक 19.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में सूचित करना है कि FP/JH/others/30674/2017 Construction of Police Line Ramgarh Building हेतु 13.047 हे0 जंगल–झाडी दर्ज वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर प्रासंगिक पत्र द्वारा किए गए त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन सात प्रतियों में निम्नवत हैः–

क्र0सं0	पृच्छा	अनुपालन
1	अपयोजित होने वाली सम्पूर्ण वनभूमि का किस्म जमीन–झाड़ी है। अतः इसके उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त/आयुक्त का अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	आयुक्त, हजारीबाग द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न है। **अनुलग्नकः–4**
2	प्रस्तावित Construction of Police Line Ramgarh Building हेतु प्रस्ताव non site specific है अतः इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। वन भूमि में Police Line स्थापित किये जाने का औचित्य क्या है ? के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि में Police Line स्थापित किये जाने के संबंध में Justification Report संलग्न है। **अनुलग्नकः–5**
3	प्रस्ताव के साथ Certificate from concerned DC that no alternative suitable non-forest land संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Certificate from concerned DC that no alternative suitable non-forest land से संबंधित समर्पित प्रतिवेदन संलग्न है। **अनुलग्नकः–6**
4	प्रस्ताव के साथ Cost Benefit analysis report संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित Cost Benefit analysis report संलग्न है। **अनुलग्नकः–3**

क्र0सं0	पृच्छा	अनुपालन
5	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वन भूमि का किस्म जंगल दर्ज है अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देश (Hand Book) 2.4 (i) के अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ऐसे मामले में अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले दो गुणा गैर वन भूमि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अर्थात इस परियोजना हेतु कुल 26.10 हे0 गैर वन भूमि चिन्हित की जानी अपेक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु गैर वन भूमि मौजा–बीचा, थाना संख्या–37, खाता संख्या–49, प्लॉट संख्या–44 एवं 154 कुल रकबा–64.48 एकड़ (26.11 हे0) गैरमजरूवा खास को चिन्हित किया गया है। चिन्हित किए गए गैर वन भूमि का मौजा मानचित्र **(अनु–13)**, Geo-reference Map **(अनु–14)**, Toposheet Map **(अनु–15)**, CA-Suitability **(अनु–16)**, CA-Estimate **(अनु–17)**, KML File **(अनु–22)** के रूप में संलग्न है।
6	क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी द्वारा non encumbrance प्रमाण पत्र एवं अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी द्वारा non encumbrance प्रमाण पत्र एवं अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। **अनुलग्नकः–18**
7	प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्षो की गणना सूची के अनुसार वृक्षों की संख्या– 113 है, जिसमें कितने वृक्षों का पातन होना है, से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित किया गया है कि उक्त परियोजना के निमार्ण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यून्तम वृक्षों का ही पातन किया जाएगा। प्रतिवेदन संलग्न। **अनुलग्नकः–19**
8	प्रस्ताव के साथ CWLW का मंतव्य संलग्न नहीं है।	प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि है एवं शहर से सटे रामगढ़ सचिवालय एवं न्यायालय आवासीय परिसर के समीप है अतः उक्त क्षेत्र पर कोई भी endangered wild life Species नहीं पाया जाता है न हीं उनका आवागमन क्षेत्र है। अतः इस परियोजना के लिए Wild Life Mitigation Plan की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही यह भी सूचित करना है कि परिवेश पोर्टल पर पार्ट–1 तथा पार्ट–2 में ऑनलाईन वांछित सुधार करते हुए सूची के अनुसार सभी अभिलेख अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अनुलग्नक के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

Nitish 31/7/23

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।